न्यायालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

अपील नामा0संख्या 23/2023 सन् 2023

RCMS NO-2023/ 143

बउनवानीः—1. महावीर दत्तक पुत्र रामगोपाल जाति कन्जर निवासी व तह0 चौथ का बरवाडा,

बनाम

1. सरकार जरिये तहसीलदार चौथ का बरवाडा

(अपील विरूद्ध आदेश तहसीलदार चौथ का बरवाडा द्वारा दर्ज फैसल नामा0 संख्या 1519 निर्णय दिनांक 27.10.2021 वाके ग्राम चौथ का बरवाडा तहसील चौथ का बरवाडा अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

उपस्थितः— 1. श्री सत्येन्द्र कुमार गोयल — वकील अपीलान्ट

2. श्री विनोद कुमार शर्मा(नायब तहसीलदार) — पैरोकार राजस्व

—: निर्णय :— दिनांक 23.8.2024

अपील अपीलान्ट ने तहसीलदार चौथ का बरवाडा द्वारा दर्ज फैसल नामा0 संख्या 1519 निर्णय दिनांक 27.10.2021 वाके ग्राम व तहसील चौथ का बरवाडा के विरूद्ध इस कथन के साथ प्रस्तुत की गयी है कि अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधि विरूद्ध है जिसको खारिज फरमाया जावे।

अपील प्रस्तुत होने पर न्यायालय हाजा मे दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो. की तलबी जरिये नोटिस की गयी एवं अदालत मातहत से सम्बन्धित मूल अभिलेख अवलोकन हेतु तलब किया गया। तत्पश्चात बहस वकील उभयपक्ष सुनी गयी।

वकील अपीलान्ट ने दौराने बहस कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधि विरूद्व होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। यह तर्क भी दिया कि आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को सुनवायी का मौका नही दिया है। अपीलान्ट व रेस्पोडेण्ट तथा कालू के मध्य रामगोपाल की ग्राम चौथ का बरवाडा में स्थित अन्य आराजीयात के संबंध में न्यायालय उपजिला कलेक्टर चौथ का बरवाडा के यहॉ दावा चला जिसमें उपजिला कलेक्टर चौथ का बरवाडा ने अपीलान्ट को रामगोपाल का एक मात्र वारिस मानते हुए दिनांक 13.1.2016 को निर्णय किया जिसकी अपील कालू द्वारा राजस्व अपील अधिकारी सवाईमाधोपुर के यहॉ पेश की जो दिनांक 29.12.2020 को खारिज हो गयी उक्त दस्तावेज व गोद पत्र राशनकार्ड व आधार कार्ड अपीलान्ट द्वारा पेश करने के बावजूद भी आराजी खसरा नम्बर 549/5067 रकबा 0.15 है0 का नामा0 अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट के हक में स्वीकार नही करने की भूल की है। जो खिलाफे कानून होने के कारण लायके मंसूख है। यह तर्क भी दिया कि सक्षम न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को गोद पुत्र मानकर रामगोपाल की अन्य आराजीयात का खातेदार घोषित किया जा चुका है ऐसी स्थिति में अदालत मातहत को उक्त निर्णय के अनुसार इस नामा0 को अपीलान्ट के पक्ष में स्वीकार करना चाहिऐ था। यह है कि आदेश जैर अपील की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 28.9.2023 को पटवारी हल्का से पूछने पर प्राप्त होने पर दिनांक 17.10.2023 को नकल प्राप्त होने पर जानकारी से अन्दर मयाद मय दफा 5 के अपील प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट स्वीकार कर आदेश जैर अपील खारिज किये जाने बाबत वकील अपीलान्ट द्वारा निवेदन किया गया है।

विद्वान पैरोकार राजस्व द्वारा दौराने बहस कथन किया कि प्रथम तो अपील मयाद बाहर प्रस्तुत की गयी है क्योंकि लगभग 2 वर्ष बाद अपील प्रस्तुत करने का विधिसम्मत कारण नही बताया है। यह तर्क भी दिया कि रामगोपाल पुत्र अनोप कंजर के फोत होने पर उसकी विरासत का नामा0 अपीलान्ट को रामगोपाल के बजाय अपीलान्ट को पुत्र मानते हुए उसकी विरासत का नामा0भरकर दर्ज फैसल किया गया है किन्तु अपीलान्ट ने गोद पत्र प्रस्तुत नही करने के कारण उक्त नामा0 खारिज किया गया है जिसमे किसी प्रकार की विधिक त्रुटी नही है। यह तर्क भी दिया

Signature Not Verified
Digitally signed by Khushaal Yadav
Date: 2024.09.24 13:22:46 IST
Reason: Self Attested

(डॉ. खुशाल यादव)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner

कि उप जिला कलेक्टर न्यायालय सवाईमाधोपुर के प्रकरण संख्या 30/2025 उनवानी महावीर दत्तक पुत्र रामगोपाल बनाम कालू पुत्र अनोख्या में पारित निर्णय दिनांक 13.1.2016 मे अपीलान्ट को ख0न0 542 रकबा 0.47 है0, ख0न0 544 रकबा 0.01 है0, ख0न0 0.01 है0, ख0न0 547 रकबा 0.11 है0, ख0न0 548 रकबा 0.11, ख0न0 548/5066 रकबा 0.06 है0, ख0न0 549 रकबा 0.11 है0, ख0न0 565 रकबा 0.25 है0, ख0न0 573 रकबा 0.60 है0, ख0न0 576/5068 रकबा 0.04 है0, ख0न0 1388 रकबा 0.28 है0 कुल किता 12 कुल रकबा 2.20 है0 का वादी महावीर को 1/2 हिस्से का खातेदार कृषक घोषित किया गया है। किन्तु उपजिला कलेक्टर न्यायालय सवाईमाधोपुर के निर्णय दिनांक 13.1.2016 में आदेश जैर अपील से संबंधित ख0न0 1371 रकबा 0.40 है0, ख0न0 549/5067 रकबा 0.15 है0 के संबंध मे कोई आदेश पारित नही किया है इसलिए उक्त निर्णय के आधार पर अपीलान्ट को रामगोपाल की विरासत का 1/2 हिस्से का हकदार नही माना जा सकता है। अपीलान्ट के पास रजिस्टर्ड गोद पत्र नही होने के कारण आदेश जैर अपील खारिज किया गया है। इसलिए अपील अपीलान्ट खारिज कर आदेश जैर अपील यथावत रखने बाबत वकील रेस्पो0 द्वारा निवेदन किया गया है।

विद्वान वकील अपीलान्ट एवं पैरोकार राजस्व द्वारा प्रस्तुत तर्को को सुनने के पश्चात एवं सम्बन्धित पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ, कि वकील अपीलान्ट द्वारा आदेश जैर अपील नामा0 1519 निर्णय दिनांक 27.10.2021 वाके ग्राम व तहसील चौथ का बरवाडा को इसलिए गलत बताया गया है कि अपीलान्ट मृतक रामगोपाल पुत्र अनोख्या जाति कंजर निवासी चौथ का बरवाडा का गोद पुत्र है जिसका गोदनामा दिनांक 8.7.2001 को कंजर समाज के लोगो के पंच पटेलो द्वारा लिखा गया है के आधार पर अपीलान्ट को गोद पुत्र माना गया है इसके अतिरिक्त उपजिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर द्वारा प्रकरण संख्या 30/2015 महावीर दत्तक पुत्र रामगोपाल बनाम कालू पुत्र अनोख्या मे पारित निर्णय दिनांक 13.1.2016 मे भी अपीलान्ट को 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित किया है किन्तु पैरोकार राजस्व के अनुसार अपीलान्ट के पास रजिस्टर्ड गोद पत्र नही होने के कारण आदेश जैर अपील खारिज किया गया है जहाँ तक उपजिला कलेक्टर न्यायालय सवाईमाधोपुर के निर्णय दिनांक 13.1.2016 का प्रश्न है तो उक्त निर्णय में आदेश जैर अपील से संबंधित ख0न0 1371 रकबा 0.40 है0, ख0न0 549/5067 रकबा 0.15 है0 के संबंध मे कोई आदेश पारित नही किया है। इसलिए उक्त निर्णय नामा0 संख्या 1519 दिनांक 27.10.2021 की भूमि पर लागू नहीं हो सकता है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिसम्मत पारित आदेश जैर अपील मे किसी प्रकार का हस्तक्षेप करने की आवश्यकता प्रतीत नही होती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर आदेश जैर अपील यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 23.8.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Khushaal Yadav
Date: 2024.09.24 13:22:46 IST
Reason: SelfAttested

(डॉ. खुशाल यादव)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner